— Provide telephone connections practically on demand in rural and tribal areas;

— Waiting period for telephone connections not to exceed two years in large systems.

मुख्य महाप्रबंधक, टेलीफोन के विरुद्ध शिकायतें

*817. डा० अबरार अहमद :
चौधरी हरि सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के मुख्य महाप्रबन्धक, टेलीफोन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के स्थानांतरण के संबंध में सरकार की कोई नीति है।

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक मुख्य महाप्रबंधक के कार्यकाल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार दूरसंचार विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में कोई स्थानांतरण नीति बनायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जांच करने पर कोई विशेष अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) राजपत्रित अधिकारियों के बारी-बारी से स्थानांतरण करने संबंधी नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबंधकों की सूची के साथ विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)। जिसमें संबंधित राज्यों में उनके ठहरने की अवधि का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक उपाय के रूप में इस समय बारी-बारी से स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है।

(ङ) विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत पहले से ही हैं।

दूरसंचार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण 1987–88 के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धांत

वर्ष 1987–88 के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अपनाई जाने वाली नीति संबंधी प्रश्न की विस्तृत जांच कर ली गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों ने एक ही स्थान पर 6 वर्ष (सर्किल अध्यक्ष के विवेक पर 8 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) की सेवा पूरी की है उनके मामलों की समीक्षा की जाए तथा अधिकारियों को उसी सर्किल में स्थांनांतरण किया जाय। स्थानांतरण करते समय अधिकारियों के विकल्प या उनके अनुरोध पर यथा सम्भव विचार किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्हें अपना कार्यकाल समाप्त कर/अनचाहे केन्द्रों से लौटना है उन्हें जहां तक सम्भव हो इन केन्द्रों में छः वर्ष से अधिक समय तक पहले से कार्यरत अधिकारियों का उपयुक्त स्थानांतरण करके, उनकी पसन्द के स्थान पर खपाया जाए। सर्किल अध्यक्ष यदि सेवा के हित में आवश्यक समझे तो, उन अधिकारियों का भी स्थानांतरण कर सकते हैं जिन्होंने एक ही स्थान पर 6 वर्ष से कम की सेवा की है।

पैरा 1 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष समीक्षा करेंगे और टी ई एस समूह–"ख"/आई टी एस समूह "क" के वरिष्ठ समयमान तथा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी और टी टी एस समूह "क" तथा "ख" के अधि-

कारियों का स्थानांतरण यथा सम्भव अपने ही सर्किल में करेंगे । इन स्थानांतरण के लिए पुणे/कानपुर बेंगलूर/अहमदाबाद/ हैदराबाद के बड़े जिलों को संबंधित उस दूरसंचार सर्किल का भाग माना जायेगा जिसमें वे स्थित हैं ।

महाप्रबंधक टेलीफोन मद्रास तथा कलकत्ता उन सभी अधिकारियों, जिन्होंने अपने जिले के विशेष सिफारिश के साथ पूरी कर ली है कि क्या उन्हें 1-5-87 से पहले जिले से बाहर निदेशालय में स्थानांतरण कर दिया जाये या नहीं ।

तथापि ये आदेश बम्बई और दिल्ली जिले में कार्यरत उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो इस समय महानगर टेलीफोन निगम लि० के नियंत्राणाधीन हैं ।

मुख्य महाप्रबंधक के संबंधित राज्यों में ठहरने की अवधि

क्र० सं० अधिकारी का नाम	मौजूदा तैनाती	जिस तारीख से राज्य में तैनात	अभ्युक्तियां
1 2	3	4	5
1. एम सी वेंकटराम	म.टे.नि.लि., बंबई	6-2-81	मई, 92 में सेवा-निवृत्त हो रहे हैं ।
2. बी. एम.खन्ना	म.टे.नि.लि., दिल्ली	25-3-86	
3. आर एस बंसल	कलकत्ता डी टी	28-4-91	
4. जे एम परांजये	महाराष्ट्र सर्किल	23-4-87	12-9-90 से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में
5. एस एम प्रसाद	उ० प्र० सर्किल	27-6-60	
6. एम जी कुलकर्णी	गुजरात	16-8-90	
7. एम जी जोशी	केरल	6-1-92	
8. एम.जी. जयरमण	मद्रास डी टी	23-7-90	
9. आर श्री निवासन	कर्नाटक	1-5-91	
10. पी कमेश्वर राव	तमिल नाडू सर्किल	27-9-91	
11. जे पी गर्ग	राजस्थान	11-7-85	नवम्बर 92 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं
12. एम आर सुब्रामण्यम	आ प्र० सर्किल	7-11-81	1-6-89 से मुख्य महाप्रबन्धक के रूप में
13. डी के गुप्ता	म० प्र० सर्किल	30-7-87	
14. ए के चौधरी	पंजाब	1-7-85	
15. मो. रूस्तम अली	बिहार	11-2-89	
16. वी पी सक्सेना	टी टी सी	24-8-90	
17. पी एस सारन	उड़ीसा	4-3-91	
18. टी के रामास्वामी	गुणवत्ता आश्वासन सर्किल	12-10-88	
19. वी वी कारंदीकर	परियोजना बंबई		म.टे.नि.लि., दिल्ली से कार्यभार संभालना है ।
20. ओ पी शर्मा	अनुरक्षण डी आई	30-10-91	
21. एस पी सोवनी	परियोजना दिल्ली	10-4-86	
22. आर के गुप्ता	उ० प्र० सर्किल	25-3-91	

1	2	3	4	5
23.	जी पंडारीनाथन	परियोजना कलकत्ता,	17–3–87	
24.	आर एन गोयल	उपग्रह परियोजना	22–7–91	
25.	एन पी धमानिया	तकनीकी एवं विकास	24–8–90	
26.	आर रंगानाथन	परियोजना मद्रास	24–12–91	
27.	वी वी चौधरी	अनुरक्षण बंबई	25–11–87	
28.	के रंगानाथन	अनुरक्षण कलकत्ता	1–12–87	2.3.91 से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में
29.	एम सी लेहन	जम्मू एवं कश्मीर सर्किल	16–2–87	
30.	एम वी भास्कर राव	रेल विद्युतीकरण	4–4–88	
31.	के एन विश्वनाथन	अनुरक्षण मद्रास	7–10–91	
32.	एच सी गुलाटी	हरियाणा	29–7–91	
33.	पी ए मोहम्मद यासीन	डाटा नेटवर्क	20–6–88	
34.	एन के अग्रवाल	हिमाचल	30–11–98	
35.	एन सुब्रामण्यन	उ० पू० कार्यबल	5–11–90	
36.	क्रान्ति कुमार	असम	9–9–91	
37.	डी सी मेहरोल	डी एन डब्लू चण्डीगढ़	31–12–91	

Restructuring tax laws

818. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

a) whether in view of the various meaaku«s taken to boost the economy of the country, Government also propose to restructure the present tax laws;

(b) if so, what are the details of the steps being taken in this regard; and

(c) whether the expert committee has submitted its report in this regard and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The proposed measures would be in the inance Bill, 1992.

(c) The Interim Report of the Committee has been received. Summery of Recommendations contained in the Report is being separately laid on the [able of the House.

Lending of black money to small scale units

819. SHRI PRABHAKAR B. KORE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any pioposal under Government's consideration to float a scheme under which individuals and firms could lend their black money to the' small scale units; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) :(a) and (b) A suggestion to this effect has been received. There is no proposal to float a scheme for attracting black money to the small scale units, for the present.

Objectives and functions of Gujarat venture finance limited

820. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be plea sed to state:

fa) what are the objectives, functions financial-promotional activities of Gujarat